



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: ५बी०स्था०व्य०/विंप्र०-०१(२०१८-१९) - २४८९

दिनांक: ०९.०१.१८

प्रेषक:

संजय कुमार, भा०व०से०
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची।

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी के अधीन "01- निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष में राशि के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार, राँची का पत्रांक २९/ बी०टी०ई०-१०/२०१७-१८/७७/बजट, दिनांक 21.02.2018।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "01- निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष के विभिन्न इकाईयों में कुल 25.98 लाख रु० (पच्चीस लाख अंठानबे हजार रु०) मात्र की अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक-२९/ बी०टी०ई०-१०/२०१७-१८ /७७/बजट राँची, दिनांक 21.02.2018 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम०-४-०५/९८ २५६१/वि० (२) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त ४-२३/२००३/१८०० दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2017-18 के व्ययित राशि के आधार पर दी जा रही है।

आवंटन आदेश पत्र संख्या-BSCDA/01-18-19/62B की मूल प्रति अत्र-सह-संलग्न है।

अनु०-यथो०:

विश्वासभाजन,

१०-३१०१८

०१८

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

०१८
०१८



राज्य सरकार

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

Forest, Environment and Climate Change Department

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं

पत्र संख्या - BSCDA/01-18-19/62B

दिनांक -

29-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 2406010010101011 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निवेशन तथा प्रशासन 01 - निवेशन एवं प्रशासन 01 - वेतन एवं भत्ते 01 - वेतन Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	37911	DRNFWL203 RAJIV RANJAN IFS APCCF & DIR. EXT. FORESTRY	2,390,000.00 रुपये तेहस लाख नव्वे हजार
2	S 19 240601001010213 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निवेशन तथा प्रशासन 01 - निवेशन एवं प्रशासन 02 - यात्रा भत्ते 13 - देशीय यात्रा भत्ता Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	37912	DRNFWL203 RAJIV RANJAN IFS APCCF & DIR. EXT. FORESTRY	70,000.00 रुपये सत्तर हजार
3	S 19 240601001010315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निवेशन तथा प्रशासन 01 - निवेशन एवं प्रशासन 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	37913	DRNFWL203 RAJIV RANJAN IFS APCCF & DIR. EXT. FORESTRY	77,000.00 रुपये सित्योत्तर हजार
	योग:			2,537,000.00
	क्रमिक योग:			रुपये पच्चीस लाख सौतीस हजार

(SANJAY KUMAR)
Principal Chief Conservator of Forest,
Jharkhand, Ranchi

164.100.150.21

29/6/2018

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601001010333 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निर्देशन तथा प्रशासन 01 - निर्देशन एवं प्रशासन 03 - प्रशासनिक व्यय 33 - दूरभाष	37915	DRNFWL203 RAJIV RANJAN IFS APCCF & DIR. EXT. FORESTRY	14,000.00 रुपये चौदह हजार
	Establishment Expenditure			
	State Scheme : NA			
	Central Scheme : NA			
5	S 19 240601001010442 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निर्देशन तथा प्रशासन 01 - निर्देशन एवं प्रशासन 04 - मोटरगाड़ियां / ईंधन 42 - मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	37916	DRNFWL203 RAJIV RANJAN IFS APCCF & DIR. EXT. FORESTRY	47,000.00 रुपये सैतालीस हजार
	Establishment Expenditure			
	State Scheme : NA			
	Central Scheme : NA			

योगः

क्रमिक योगः

रुपये पच्चीस लाख अठानवे हजार

61,000.00

2,598,000.00

(SANJAY KUMAR)

**Principal Chief Conservator of Forest,
PCCF, JHARKHAND, RANCHI
Jharkhand, Ranchi**

PCCF, JHARKHAND, RANCHI

164.100 150.21

Run Date: 29/6/2018